



न्याय के लिए बजट

न्याय के लिए बजट: 11 उच्च-GDP वाले राज्यों में न्यायिक बजट का प्रारंभिक अध्ययन

कार्यकारी सारांश



न्याय के लिए बजट: 11 उच्च-GDP वाले राज्यों में न्यायिक बजट का प्रारंभिक अध्ययन

नवंबर 2025 में 'इंडिया जस्टिस रिपोर्ट' द्वारा प्रकाशित

'न्याय के लिए बजट' में 1 करोड़ से अधिक आबादी और उच्च सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वाले शीर्ष 11 राज्यों में न्याय व्यवस्था के लिए बजटीय आवंटन और खर्चों का अध्ययन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के बजट दस्तावेजों का उपयोग करते हुए, यह आवंटन और उपयोग के स्तर और न्याय व्यवस्था के मुख्य स्तंभों- पुलिस, जेल, न्यायपालिका, और क्रान्तीनी सहायता को मिले बजट का विश्लेषण करता है। हर स्तंभ में प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख क्षेत्रों का भी अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन में आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को शामिल किया गया है।

अधिक जानकारी के लिए, IJR की वेबसाइट देखें: <https://indiajusticereport.org>

डिज़ाइन: हाउ इंडिया लिव्स (www.howindialives.com)

अनुवाद: मनीष झा

संपादन: भारत सिंह

प्रिंटवर्ल्ड द्वारा मुद्रित

पता: 1743 उदयचंद मार्ग,

फर्स्ट और अपर ग्राउंड फ्लोर, कोटला मुबारकपुर,

साउथ एक्सटेंशन के पास, भाग-1, नई दिल्ली- 110003

रिपोर्ट को ऑनलाइन पढ़ने
और वेब इंटरैक्टिव देखने के
लिए यह कोड स्कैन करें



© इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, 2025

यह रिपोर्ट विभिन्न सरकारी संस्थाओं और न्यायपालिका के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित है। यहां प्रस्तुत सूचनाओं को हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्यापित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। लेखक इस रिपोर्ट में सामान्य तौर पर या रैकिंग के लिए उपयोग किए गए संदर्भों, जानकारी, डेटा या उनके स्रोतों की शुद्धता या सटीकता के लिए किसी भी प्रकार की ज़िम्मेदारी से इनकार करते हैं।

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस रिपोर्ट के डिज़ाइन समेत किसी भी हिस्से को, किसी भी रूप में- इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल, किसी भी माध्यम से- फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग या कोई अन्य सूचना भंडारण या पुनः प्राप्ति प्रणाली द्वारा नीचे दिए गए संदर्भ के साथ फिर से प्रस्तुत किया जा सकता है।

संदर्भ सुझाव: 'न्याय के लिए बजट: 11 उच्च-GDP वाले राज्यों में न्यायिक बजट का प्रारंभिक अध्ययन
(इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, 2025)'



कार्यकारी सारांश

न्याय के लिए बजट

न्याय के लिए बजट IJR का एक अनूठा प्रारंभिक अध्ययन है। इसमें भारत के उच्च-GDP वाले 11 राज्यों द्वारा न्याय प्रणाली (पुलिस, जेल, न्यायपालिका और कानूनी सहायता) के लिए आवंटित बजट और इसके व्यय का गहन विश्लेषण किया गया है। इस अध्ययन में शामिल राज्य आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल हैं। यह विश्लेषण वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 के बजट दस्तावेजों पर आधारित है।

कुल मिलाकर, इन 11 राज्यों में भारत का 60% से ज़्यादा पुलिस कार्यबल तैनात है, इनके हाई कोर्ट्स और अधीनस्थ अदालतों में जजों के 70% से ज़्यादा पद रिक्त हैं और यहां की जेलों में राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद कैदियों में से 60% कैदी मौजूद हैं।

मोटे तौर पर, विश्लेषण से पता चलता है कि न्यायिक क्षेत्र को सीमित धनराशि प्राप्त होती है और आवंटित राशि का पूरा उपयोग भी नहीं हो पाता है। कड़ी शर्तों वाली केंद्रीय योजनाओं में कर्मचारियों पर खर्च संबंधी पार्बंदियां (जैसे, पुलिस बलों का आधुनिकीकरण), राज्यों का लागत साझा करने संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने में अक्षम होना और कर्मचारियों की कमी के कारण होने वाली प्रशासनिक देरी से बजट का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता है।

अध्ययन के निष्कर्षों से यह सामने आता है कि राजकोषीय प्राथमिकताओं को तय करने में बहुत असमानता होती है। जैसे, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने मिलकर साल 2024-25 में जेल के बुनियादी ढांचे के लिए 1,677 करोड़ रुपए आवंटित किए। इसके विपरीत, SHRCs को बहुत कम धनराशि मिली। इन पांच राज्यों ने कुल मिलाकर SHRCs के लिए 41.5 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया, जो न्याय वितरण करने वाली संस्थानों के लिए किया गया सबसे कम आवंटन है।

यह अध्ययन वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 के राज्य बजट दस्तावेजों पर आधारित है जिसमें यह खोज-बीन की गई है कि न्याय वितरण करने वाली संस्थानों को वित्तीय संसाधन कैसे आवंटित किए जाते हैं, वे इसका उपयोग कैसे करते हैं और उनको कैसे प्राथमिकता दी जाती है। उप-लघु मद स्तर, चुनिदा रूप से विषय और विस्तृत मद स्तर, तक बजट आंकड़ों के विश्लेषण द्वारा यह अध्ययन बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षण और तकनीक संबंधी निवेश से जुड़े रुझानों की पहचान करता है। ऐसा कर अध्ययन यह अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि भारत के आर्थिक रूप से सबसे मजबूत राज्यों में न्याय वितरण करने वाली विभिन्न संस्थानों के लिए बजटीय आवंटन किस प्रकार किया जाता है।

11 सबसे अमीर राज्य न्याय के लिए बजट कैसे आवंटित करते हैं?

चित्र 1: न्याय पर कुल खर्च (करोड़ रुपए में)


उच्च-GDP वाले 11 राज्यों द्वारा न्याय के लिए 1.96 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए जो 2022-23 (RE) से 25% ज़्यादा हैं।



¹ केरल भी 11 उच्च GDP राज्यों में से एक है, लेकिन उसे प्रारंभिक अध्ययन में शामिल नहीं किया जा सका क्योंकि अक्टूबर 2024 तक इसके बजट दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। ऐसे में, इसमें हरियाणा को शामिल किया गया।


चित्र 2: राज्य बजट में न्यायिक बजट का हिस्सा

11 उच्च-GDP वाले राज्यों ने 2024-25 (BE) में औसतन अपने कुल राज्य बजट का 4.56% हिस्सा न्यायिक बजट को आवंटित किया।




चित्र 3: अन्य क्षेत्रों की तुलना में न्याय के लिए आवंटित बजट

11 उच्च-GDP वाले राज्यों के बजट से विभिन्न क्षेत्रों पर व्यय (%), 2024-25 (BE))




चित्र 4: न्यायिक बजट में स्तंभों की हिस्सेदारी (%), 2024-25 (BE))

पुलिस को न्यायिक बजट का सबसे अधिक 80% हिस्सा मिलता है



चित्र 5: न्याय पर प्रति व्यक्ति खर्च

इन 11 राज्यों ने 2024-25 (BE) में न्याय पर प्रति व्यक्ति औसतन 2,031 रुपए खर्च किए। हालांकि, न्याय के अलग-अलग स्तंभों के लिए यह राशि भिन्न-भिन्न रही। पुलिस पर प्रति व्यक्ति औसत खर्च सबसे अधिक 1,616 रुपए, कानूनी सहायता पर 9 रुपए और SHRCs पर केवल 0.43 रुपए खर्च किए गए।



न्याय स्तंभों पर प्रति व्यक्ति खर्च (₹, 2024-25 (BE))

² इसमें राजस्व व्यय, पंजीयन परिव्यय और राज्य सरकारी द्वारा दिए गए ऋण एवं अधिसौं के तहत सामाजिक योजनाओं, ग्रामीण विकास और खाद्य भंडारण एवं गोदाम पर किया गया व्यय शामिल है।

³ राजस्व व्यय और पंजीयन परिव्यय के अंतर्गत खेल, कला और संस्कृति पर किया गया व्यय शामिल है।

⁴ इसमें राजस्व व्यय और पंजीयन परिव्यय शामिल हैं।

⁵ इसमें पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता पर किया गया व्यय शामिल है।

चित्र 6: राज्य मानवाधिकार आयोग⁶

5 राज्यों ने SHRC के लिए 41.5 करोड़ का बजट आवंटित किया। इनका प्रति व्यक्ति खर्च 1 रुपए से कम रहा।

11 राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोगों (SHRC) के लिए बजट

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	विभाग	2024-25 (BE) (करोड़ रुपए में)	प्रति व्यक्ति खर्च (रुपए में)
आंध्र प्रदेश	विधि विभाग एवं गृह विभाग (गृह प्रशासन)	NP	NP
गुजरात	गृह विभाग	6.1	0.9
हरियाणा	गृह विभाग	9	3
कर्नाटक	विधि, न्याय एवं मानवाधिकार विभाग	6.7	1
मध्य प्रदेश	NP	NP	NP
महाराष्ट्र	NP	NP	NP
राजस्थान	NP	NP	NP
तमिलनाडु	NP	NP	NP
तेलंगाना	NP	NP	NP
उत्तर प्रदेश	गृह विभाग (पुलिस)	10.2	0.4
पश्चिम बंगाल	गृह, जेल एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	9.4	0.9
कुल		41.5	0.8

राज्यों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखे गए हैं।



⁶ इन पांच राज्यों में SHRCs के लिए बजट केवल गृह या विधि एवं न्याय/न्यायिक प्रशासन विभागों के तहत उपलब्ध है। NP का अर्थ है कि इनमें से किसी भी विभाग को SHRC के लिए बजट उपलब्ध नहीं कराया गया था।

पुलिस

1.57 लाख करोड़ रुपए

2024-25 (BE) में 11 राज्यों में पुलिस के लिए कुल आवंटन, जो कि 2022-23 (RE) से 22% की औसत बढ़ोतरी है।

15%

2022-23 (RE) से 2024-25 (BE) के बीच पुलिस पर प्रति व्यक्ति खर्च में वृद्धि (11 राज्य)। IJR 2025 के अनुसार, 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों⁷ ने 2022-23 के दौरान राष्ट्रीय औसत (1275 रुपए) से अधिक खर्च किया।

2-6%

कुल राज्य बजट में पुलिस बजट का हिस्सा।

2024-25 (BE) में उत्तर प्रदेश का पुलिस बजट 6%, जबकि राजस्थान




2% से कम

2024-25 के पुलिस बजट में से प्रशिक्षण का बजट राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण पर कम खर्च के रुद्धान को दिखाता है। इसे IJR के विभिन्न संस्करणों द्वारा सामने भी लाया गया है।

चित्र 7: 11 उच्च GDP वाले राज्यों का पुलिस बजट

	2022-23 (RE)	2024-25 (BE)
पुलिस बजट (करोड़ रु. में)	1,28,637	1,56,719
राज्य बजट में पुलिस बजट का हिस्सा (%)	4	4
न्यायिक बजट में पुलिस बजट का हिस्सा (%)	81	80
औसत प्रति व्यक्ति खर्च (रु.)	1,354	1,616

चित्र 8: पुलिस-अधिकतम और न्यूनतम आवंटन (2024-25 BE)



⁷ लक्ष्मीप, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, मणिपुर, चंडीगढ़, मिजोरम, दिल्ली, त्रिपुरा, मेघालय, पंजाब, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखण्ड, झारखण्ड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, असम।

न्यायपालिका

15%-20%

2024-25 (BE) के कुल न्यायिक बजट में न्यायपालिका के लिए बजट का हिस्सा।

36%

11 राज्यों द्वारा 2022-23 में संशोधित अनुमान के मुकाबले न्यायपालिका के लिए कुल बजट आवंटन में वृद्धि। इन राज्यों ने कुल मिलाकर 2024-25 (BE) में न्यायपालिका के लिए 32,996 करोड़ रुपए आवंटित किए।



3 गुणा

11 राज्यों में, 2024-25 (BE) में **अधीनस्थ न्यायालयों** को हाई कोर्ट्स को आवंटित बजट से तीन गुना से अधिक आवंटन (6,186 करोड़ रुपए के मुकाबले 19,064 करोड़ रुपए) प्राप्त हुए। ये अदालतें हाई कोर्ट की तुलना में सात गुना अधिक केसों को निपटाती हैं।


<1%

2024-25 (BE) में, उत्तर प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों ने अपने न्यायपालिका बजट का 1% से भी कम (249 करोड़ रुपए) **प्रशिक्षण** के लिए आवंटित किया।

चित्र 9: 11 उच्च GDP वाले राज्यों का न्यायपालिका बजट (क्रान्ती सहायता सहित)

	2022-23 (RE)	2024-25 (BE)
न्यायपालिका बजट (करोड़ रुपए)	24,343	32,996
राज्य बजट में न्यायपालिका बजट की हिस्सेदारी (%)	0.68	0.76
न्यायिक बजट में न्यायपालिका को प्राप्त आवंटन (%)	15	17
प्रति व्यक्ति औसत खर्च (₹.)	256	340

चित्र 10: न्यायपालिका: अधिकतम और न्यूनतम आवंटन (2024-25 BE)



जेल

0.23 रुपए

औसतन, इन राज्यों द्वारा 2024-25 में जेल पर खर्च किए गए प्रत्येक 100 रुपए में से मात्र 0.23 रुपए प्रशिक्षण पर खर्च किए गए।

2%

2024-25 (BE) में आवंटित जेल बजट का औसतन 2% हिस्सा जेलों के आधुनिकीकरण के लिए उपयोग किया गया। वर्ष 2024-25 में इन राज्यों ने आधुनिकीकरण के लिए कुल मिलाकर 126 करोड़ रुपए (BE) आवंटित किए।



45%

2022-23 (RE) से 2024-25 (BE) के बीच बजट में 45% (7,247 करोड़ रुपए) की बढ़ोतरी की गई।


4 राज्यों⁸

ने केंद्रीय और ज़िला जेलों के बजट को उप-लघु मदों में आवंटित किया।

चित्र 11: 11 उच्च GDP वाले राज्यों का जेल बजट

	2022-23 (RE)	2024-25 (BE)
जेल बजट (करोड़ रुपए)	4,982	7,247
राज्य बजट में जेल बजट का %	0.10	0.20
न्यायिक बजट में जेल बजट का %	3.2	3.7
प्रति व्यक्ति खर्च (रु.)	52	75

चित्र 12: जेलों के लिए सबसे ज्यादा और सबसे कम आवंटन (2024-25 BE)



क्रानूनी सहायता

00.43%

2024-25 (BE) में क्रानूनी सहायता को न्यायिक बजट में औसतन 00.43% हिस्सा प्राप्त हुआ।

2 राज्यों

11 में से 9 राज्यों ने SLSA के लिए बजट आवंटित किया। इन राज्यों ने 2024-25 (BE) में SLSA को 267 करोड़ रुपए जारी किए। केवल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ज़िला और मंडल स्तर के आवंटन की जानकारी देते हैं।

6 रुपए

11 उच्च GDP वाले राज्यों का क्रानूनी सहायता पर प्रति व्यक्ति औसत खर्च 6 रुपए रहा।



1.71 रुपए

साल 2024-25 में क्रानूनी सहायता के लिए पश्चिम बंगाल ने प्रति व्यक्ति 1.71 रुपए का आवंटन किया जबकि इसी अवधि में हरियाणा का आवंटन सबसे अधिक (25 रुपए) रहा।

चित्र 13: 11 उच्च-GDP वाले राज्यों का क्रानूनी सहायता बजट

	2022-23 (RE)	2024-25 (BE)
क्रानूनी सहायता का बजट (करोड़ रुपए)	591	849
राज्य बजट में क्रानूनी सहायता बजट (%)	0.02	0.02
न्यायिक बजट में क्रानूनी सहायता बजट (%)	0.37	0.43
क्रानूनी सहायता पर औसत प्रति व्यक्ति खर्च (रु.)	6	9

चित्र 14: क्रानूनी सहायता: सबसे ज़्यादा और सबसे कम आवंटन (2024-25 BE)

आवंटन 2024-25 (BE) (करोड़ रुपए)

सबसे ज़्यादा आवंटन

उत्तर प्रदेश	212
मध्य प्रदेश	116
गुजरात	93

सबसे कम आवंटन

पश्चिम बंगाल	17
तमिलनाडु	38
तेलंगाना	39

फ़ॉरेंसिक्स

1% से कम

साल 2024-25 में पुलिस बजट में फ़ॉरेंसिक का औसत हिस्सा।



40%

इन 11 राज्यों में, राज्य फ़ॉरेंसिक साइंस लैब्स (SFSLs) में 1 जनवरी 2023 तक 40% रिक्तियां हैं।


284 करोड़ रुपए

साल 2024-25 में फ़ॉरेंसिक के लिए सबसे अधिक बजट **आवंटन** उत्तर प्रदेश ने किया।

चित्र 15: फ़ॉरेंसिक्स: सबसे ज्यादा और सबसे कम आवंटन (2024-25 BE)

2024-25 (BE) (करोड़ रुपए)

सबसे ज्यादा आवंटन



सबसे कम आवंटन



SHRC

0.8 रुपए

2024-25 में पांच उच्च-GDP वाले राज्यों में SHRC पर प्रति व्यक्ति खर्च।



8%

2022-23 (RE) और 2024-25 (BE) के बीच पांच राज्यों (गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) में SHRC के बजट में वृद्धि।


43%

राष्ट्रीय स्तर पर SHRC कर्मचारियों की रिक्तियां। 2020-21 में गुजरात और उत्तर प्रदेश में क्रमशः 71% और 62% के साथ राष्ट्रीय औसत से ज्यादा रिक्तियां रहीं।⁹

चित्र 16: SHRC: सबसे अधिक और सबसे कम आवंटन 2024-25 (BE)

2024-25 (BE) (करोड़ रुपए)

सबसे ज्यादा आवंटन करने वाले राज्य



सबसे कम आवंटन करने वाले राज्य



⁹ SHRC में रिक्तियां: RTI- IJR 3 (2022) पर आधारित।

निष्कर्ष

प्रारंभिक अध्ययन से पता चलता है कि भारत के सबसे अमीर राज्यों में न्याय के लिए बजट को अलग-अलग श्रेणियों में सही तरीके से वर्गीकृत नहीं किया जाता है और अक्सर इस बजट की प्राथमिकताएं भी सही तरीके से तय नहीं की जाती हैं। हालांकि कुल न्यायिक बजट 1.57 लाख करोड़ (2022-23 RE) से बढ़कर 1.96 लाख करोड़ (2024-25 BE) हो गया है, लेकिन इस बढ़ोतरी का बड़ा हिस्सा सिर्फ पुलिस विभाग के हिस्से जाता है। गौरतलब है कि हाल के वर्षों में पुलिस को कुल न्यायिक आवंटन का 80% से अधिक हिस्सा प्राप्त होता रहा है। इसके विपरीत, न्यायपालिका, जेल, क्रानूनी सहायता और SHRCs जैसे अधिकार सुनिश्चित करने वाले निकाय बजट हिस्सेदारी के मामले में उपेक्षित बने हुए हैं, जिन्हें अक्सर कुल राज्य बजट का 1% से भी कम हिस्सा मिलता है। सबसे अमीर राज्यों द्वारा क्रानूनी सहायता पर प्रति व्यक्ति खर्च 9 रुपए पर स्थिर है। इन राज्यों में पीड़ित मुआवजे के रूप में 66 करोड़ रुपए बोटे गए।

बेहतर बजट आवंटन प्राप्त करने वाली संस्थाओं, जैसे पुलिस और न्यायपालिका, में भी प्रशिक्षण, तकनीक और आधुनिकीकरण जैसी आवश्यक मद में इस अनुपात से कहीं कम हिस्सा आता है। जैसे, पुलिस और न्यायपालिका के बजट का क्रमशः 2% और 1% से भी कम हिस्सा प्रशिक्षण के लिए आवंटित किया जाता है। महिलाओं और बच्चों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी योजनाओं, जैसे कि CCPWC और सेफ़ सिटी, के आवंटन में भी वित वर्ष 2022-23 और 2024-25 के बीच कटौती की गई है।

अपर्याप्त बजट आवंटन के अलावा, विभिन्न राज्यों और राज्य के विभागों द्वारा बजट आंकड़ों को अलग-अलग श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं करने से उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण बहुत कठिन हो जाता है। आंकड़ों को श्रेणियों में असमान तरीके से वर्गीकृत करने से यह समझना भी मुश्किल हो जाता है कि उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कैसे किया जा रहा है।

'न्याय के लिए बजट: 11 उच्च-GDP वाले राज्यों में न्यायिक बजट का प्रारंभिक अध्ययन' के बारे में

'न्याय के लिए बजट' में 1 करोड़ से अधिक आबादी और उच्च सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वाले शीर्ष 11 राज्यों में न्याय व्यवस्था के लिए बजटीय आवंटन और खर्चों का अध्ययन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के बजट दस्तावेजों का उपयोग करते हुए, यह आवंटन और उपयोग के स्तर और न्याय व्यवस्था के मुख्य स्तंभों- पुलिस, जेल, न्यायपालिका, और क्रान्तीनी सहायता को मिले बजट का विश्लेषण करता है।

हर स्तंभ में प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख क्षेत्रों का भी अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन में आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को शामिल किया गया है।

मुख्य रिपोर्ट पढ़ने, आंकड़े देखने और अधिक इस्तेमाल के लिए

<https://indiajusticereport.org> पर क्लिक करें।

ईमेल आईडी: indiajusticereport@gmail.com

फोन नंबर: 9717676026

Partners



Design



Donors



TATA TRUSTS

Cyrus Guzder

J.T. Pathak Trust



Ravi Venkatesan

Tree of Life Foundation

